न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/20/2021	2021/21	15.02.2021	29.06.2021

01. मंगतूराम किराड पुत्र श्री नारायण लाल किराड जाति–खटीक, निवासी–रैणी, तहसील–रैणी, जिला अलवर राज0 –अपीलांट

बनाम

01. तहसीलदार रैणी, जिला अलवर। –रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रैणी दिनांक 18.12.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 01/2019

उपस्थितः–

01–श्री गणपत सिंह नरूका –वकील अपीलाण्ट

02–पैरोकार सरकार –वकील रैस्पोन्डेन्ट

–:निर्णयः–

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार रैणी के आदेश दिनांक 18.12.2019 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम रैणी की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने के आदेश से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि जिस आराजी पर तहसीदार रैणी ने उनके विरूद्ध 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत नोटिस जारी करके अतिक्रमी माना है उसके संबंध में कथन किया है कि वह आबादी की भूमि है तथा ग्राम पंचायत रैणी ने उसका पट्टा जारी किया है तथा अपीलान्ट श्री मंगतूराम किराड ने यह जमीन श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा 13.02.1980 को खरीद की है जिसकी रजिस्ट्री की नकल भी पेश की है।

आगे कहा कि तहत अदालत नें बिना तथ्यों के जाने तथा अपीलांट के बिना सुने तथा बिना नक्शा मिलान किये तथा किस भूमि को अवाप्त किया है किसको नहीं तथा उसका नक्शे में क्या तरमीम है को जाने बिना ही बेदखली का आदेश पारित किया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि इकरारनामा द्वारा दिनांक 13.08.1990 द्वारा आबादी रैणी में प्लॉट खरीद की है जिसमें प्रार्थी का मकान बना हुआ है तथा जिसमें प्रार्थी का परिवार खरीद समय से ही निवास कर रहा है जिसकी नाप उत्तर–दक्षिण 12 वर्ग गज तक तथा पूर्व–पश्चिम 15 वर्गगज है तरफ उत्तर 10 फुट का रास्ता है तथा पश्चिम को रोड सरकारी रामपुरा को जाने वाला है।

आगे कहा कि प्रकरण में पूर्व में भी अपीलांट के विरूद्व 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये तहसीलदार रैणी द्वारा आदेश पारित किये थे जिसे अति0 जिला कलक्टर अलवर ने अपने आदेश दिनांक 30.09.1983 से निरस्त किये थे। इस प्रकार कहा कि किस आधार पर बिना अपीलांट के सुने, बिना रिकॉर्ड व साक्ष्य का अवलोकन किये विधि विरूद्ध उक्त आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्ती के है।

हमने उक्त सभी तथ्यों व बहस पर गौर किया। प्रकरण में मेरिट का बिन्दु है अतः मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र को उनके दिये गये तथ्यों के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम पंचायत रैणी कों आबादी में हस्तान्तरित की गयी है तथा रैणी ग्राम0पं0 ने उक्त आराजी रकबा को श्री देवेन्द्र सिंह को आबादी के रूप में पटटा जारी किया है। अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा उक्त आबादी आराजी से खरीद किया है। निर्णय हेतु निम्न बिन्दुओं पर गौर किया जाना आवश्यक है।

1. अपीलांट को उक्त भूमि जिस पर वह काबिज है, पर ग्राम पंचायत का आबादी का पटटा है को ऐसी स्थिति में आबादी में पीडब्लयुडी की सीमा कितनी होनी चाहिए। इस पर टिप्पणी की जानी आवश्यक है।
2. उक्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर खरीद किया गया है तो क्या अपीलांट को हक-हकूक के लिए क्यों नही सुना गया है।
3. सडक के लिए भूमि अधिग्रहण क्या आबादी में से किया गया है या बिना आबादी की आराजी से किया गया है। यह बिन्दु तय किया जाना आवश्यक है।
4. अवाप्त की गई भूमि के कौन-कौनसे खसरा नं. से कितना कितना रकबा लिया है तथा क्या नक्शे में उसके आधार पर तत्काल समय में कोई तरमीम की है। इस पर टिप्पणी आवश्यक है।
5. क्या अपीलांट की आराजी अवाप्त की गई है तो क्या अपीलांट को कोई मुआवजा दिया है?
6. वर्तमान सडक राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेखित पूर्व नक्शे के आधार पर बनी है या अवाप्त शुदा आराजी में से होकर बनी है या अवाप्त शुदा आराजी से अलग रोड बना है। इस बिन्दु पर रेकॉर्ड से टिप्पणी आवश्यक है।
7. यदि अवाप्त शुदा आराजी के रास्ते से हटकर वर्तमान सडक है तो क्या इस आधार पर कोई अतिक्रमण माना जावेगा। यह कानूनी बिन्दु है तय किया जाना चाहिए।
8. प्रार्थी अपीलान्ट ने मौके पर दो खरीदशुदा प्लाटों मे अपने आवास हेतु मकान बना रखे हैं रेस्पोडेन्ट की ओर से उन्हें एक निवास का ही नोटिस जारी किया है जबकि दूसरे आवास के बारें में कुछ भी नहीं कहा है। जिससे यह जाहिर नहीं हो रहा है कि नोटिस किस मकान हेतु दिया है। इस बिन्दु को भी तय किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत न्यायालय तहसीदार रैणी का आदेश दिनांक 18.12.2019 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित की जाती है कि उपरोक्त बिन्दुओं को रिकॉर्ड व साक्ष्य से तय करके गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.06.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/6/21

(कमल राम मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर राजस्थान सरकार